साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 8, अंक : 20 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 4 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

पर्यावरण और मानव जीवन के लिए खतरा बना खनन

बुंदेलखंड। बुंदेलखंड बुंदेलखंड में बड़ी संख्या में खनिज खदाने हैं। यहां कानूनी प्रतिबंधों और एनजीटी के आदेशों को अनदेखा कर अवैध खनन का काम सालों से होता आ रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। हालंकि, स्वीकृत पट्टों से प्रदेश सरकार को बड़ा राजस्व पहुंचता है लेकिन अवैध खनन से नदी, पहाड़, फसल, पानी, पर्यावरण, वनस्पतियां और जीव-जंतु बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इसके चलते पहाड़ों और नदियों के आस-पास बसे गांव के ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन मुद्दों पर समय-समय पर आवाज़ भी उठती रहती है लेकिन इन आवाजों को सुनने वाले अधिकारियों के कान में जूं नहीं रेंगती। ग्रामीण खनन माफिया की हिंसा का शिकार होते रहते हैं।

खनन की वजह से उसने वाली रेत और पहाड़ों में होने वाली ब्लास्टिंग की डस्ट ज़मीन के साथ- साथ शुद्ध जल और वायु को भी दूषित करती है। इसका प्रभाव मानव जीवन तथा पशु-पक्षियों पर पड़ता है। रेत और डस्ट के कण लोगों के फेफड़ों और आंखों में पहुंच जाने से लोगों के शरीर को तरह-तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। पहाड़ों और नदियों की बलि दी जा रही है। कई वन्य जीवों की प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। बांदा जिले के गिरवां थाना क्षेत्र के गांव जरर निवासी अभिषेक शुक्ला कहते हैं कि उनके क्षेत्र में कई ऐसे पहाड़ हैं जहां पर रातों-दिन ब्लास्टिंग होती रहती है। मशीनों से पहाड़ों की तोड़ाई होती है जिससे उनका जल,जीवन, फसल और आस्था के प्रतीक मंदिर सब अस्त-व्यस्त हो गया है। प्रदूषण के कारण उनको सांस लेना भी मुश्किल है। इस प्रदुषण से जरर, गिरवां और पतरहा गांव बुरी तरह प्रभावित हैं। इस मामले को लेकर कई बार उन्होंने आवाज उठाई लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। अब वह चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि पहाड़ उनके जीवन की प्रकृति, संरक्षण और समृद्धि हैं। इसके लिए उन्हें लड़ाई लड़नी ही होगी। इसके लिए कमर कसनी होगी। उनकी आने वाली पीढ़ी जब उनसे सवाल करेगी तो वह क्या जवाब देंगे। अगर उन्हें पहाड़ों के लिए लड़ना है तो पत्थर बनना होगा। पहाड़

उनका आज है, और आने वाला कल भी है। ये मशीनें सब भाग जाएगी इसलिए इरादा बुलन्द करके लड़ना होगा। खनन करने और बेचने वालों का अपना जाल है, लेकिन बचाने के लिए उन्हें संघर्ष करने का इरादा पक्का करना है। पहाड़, नदियों के पिता होते हैं और प्रकृति के सैनिक होते हैं लेकिन हमारी हवस ने सब कुछ निगल लिया। वह मदन दास गोपाल नामक पर्यावरण संरक्षण समिति चलाते हैं उसके जरिए पर्यावरण के लिए आन्दोलन भी करेंगे। खनन के धंधे वाले लोगों का नेटवर्क बहुत तगड़ा होता है। हो सकता है उनको न्यायालय जाना पड़े। पिछड़ा क्षेत्र है लेकिन इस लड़ाई के लिए इतने लोग काफी नहीं है। पतरहा गांव कि भूरी कहती हैं कि जब ब्लास्टिंग होती है तो बच्चे घायल हो जाते हैं। कई मौतें भी हो चुकी हैं। मारे डर के गर्मियों तक में लोग छत में नहीं लेटते। लोग यहां की समस्या को लेकर डीएम के यहां गए तो डीएम ने कहा कि गांव खाली कराना है। पिछले महीने उनके गांव में खनन को लेकर पन्द्रह दिन अनशन चला और गोष्ठी हुई लेकिन प्रशासन गूंगा बहरा बना रहा। पहाड़ जितने ऊंचे थे उतने ही गहरे होते जा रहे हैं। समिति संचालक मदन गोपाल दास कहते हैं कि लोग खेती में भी अब ज़हर बो रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ी अल्प आयु में ही समाप्त हो जायेगी। आज कल शहर में पढ़ रहे बच्चे ग्रामीण बच्चों से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि कागजी पढ़ाई प्रकृति प्रवेश नहीं दे सकती। गिरवां क्षेत्र के पहाड़ों में अवैध खनन और क्रेशर मशीनों से हजारों बीघा खेती बर्बाद हो रही है और कई प्राचीन शिव मंदिर भी खतरे में हैं इसलिए संतो के साथ चार गाँवो के लोगों को खनन व क्रेशर बंद करवाने की मांग जोरों से करनी होगी। जमवारा गांव के इरशाद हुसैन कहते हैं कि बुंदेलखंड में खनिज संपदा अधिक मात्रा में है। यहां की नदियां बालू से भरी हैं, और पहाड़ भी भारी मात्रा में है। उन पहाड़ों को तोड़कर गिट्टी बनाई जाती है। इस खनिज संपदा से प्रदेश सरकार को हर महीने करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता होगा। खनन को लेकर एनजीटी और सरकार के नियम हैं जिसका पालन करते हुए खनन किया जाना चाहिए परन्तु यहां मानकों को ताक पर रखकर खनन का काम कई सालों से चल रहा है जिससे की जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नरैनी क्षेत्र के लहुरेटा खदान से बालू भरे ओवरलोड ट्रकों से गरीब किसान परेशान हैं। इसके साथ ही नदियों का स्वरुप बिगड़ रहा है जो हमारी जीवनदायिनी है। बांदा, चित्रकूट और महोबा खनन के मुख्य क्षेत्र हैं जो पर्यावरण के नज़र से काफी नुकसान देह है। यह मानव जीवन के लिए सही नहीं है क्योंकि जल, जंगल,ज़मीन, नदी और पहाड़ ही एक मनुष्य का मुख्य जीवन है जिससे शुद्ध पानी, हवा और शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलते हैं लेकिन इस खनन के चलते यह सब चीजें प्रदूषित हो रही हैं और ग्रामीण कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। खनन की वजह से नदियों में बड़े-बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिससे नदियों का स्वरूप बदल रहा है। पहाड़ों में खनन के बाद हज़ारों फीट गहरी खाई हो गई हैं जिसको सुरक्षित करने के लिए ज़िम्मेदारों के पास कोई इंतजाम नहीं है। इस गंभीर मामले पर ज़िम्मेदार कुछ भी बोलने को जल्दी तैयार नहीं होते हैं और तो और अधिकारी भी कई बार अवैध खनन में शामिल पाए जाते हैं। नदियों में बड़ी-बड़ी मशीनों से बीच धारा से रेत निकालने का काम किया जाता है। पहाड़ों में बारूद लगाकर हैवी ब्लास्टिंग कर इन्हें तोड़ने का काम भी यहां पर अवैध तरीके से किया जा रहा है जिससे यहां की भौगोलिक स्थिति बदलती जा रही है। पहाड़ों के आस-पास बसे गांव के लोगों के घरों को क्षति पहुंच रही है। खेती बंजर और पानी प्रदूषित हो रहा है।

बुन्देलखण्ड की सबसे बड़ी पत्थर मंडी- महोबा जिले के कबरई कस्बे के पत्थर मंडी की गिट्टी पूरे देश में जाती है। बांदा में केन, यमुना, बागेन और चंद्रावल नदी से रेत निकालने को लेकर पट्टे आवंटित किए जाते हैं। यहां पर मानकों को दरकिनार कर अवैध तरीके से खनन का काम किया जाता है। ये रेत भी देश के कोने-कोने तक जाती है जिसको लाल सोना के नाम से भी जाना जाता है।

खनन के कारण जीवन पर दुष्प्रभाव- खासकर गर्मियों के दिनों में लोगों को पानी की समस्या झेलनी पड़ती है। खनन होने से जलीय जीव-जंतु और वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इन क्षेत्रों के आस-पास किसानों की ज़मीन बंजर होती जा रही हैं। उन्हें फसलों का उत्पादन भी नहीं मिल रहा है। यहां तक कि खनन माफिया अपनी धौंस और ताकत के बल से किसानों के खेतों के बीच से ओवरलोडिंग के ट्रक निकालते हैं। नदी के किनारे जो भी किसानों के खेत हैं उनसे चोरी छुपे बालू निकालते हैं जिनमें बड़े-बड़े गड्ढे हो जाते हैं और किसान फिर उन खेतों में फसल का एक दाना भी नहीं तैयार कर पाते। अगर किसान इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाते हैं और अपने खेतों से ट्रक निकलने से रोकते हैं तो उनके साथ अलग-अलग तरह से हिंसाएं होती हैं।

अबू धाबी पर्यावरण एजेंसी ने भूजल कुओं को गहरा करने के अनुरोध के लिए आसान स्टेप्स बताए

अबू धाबी अबू धाबी पर्यावरण एजेंसी (EAD) ने अबू धाबी प्रोग्राम फॉर एफर्टलेस कस्टमर एक्सपीरियंस का एक नया मॉडल लॉन्च किया है, जो ग्राहकों को भूजल कुएं को गहरा करने के लिए लाइसेंस का अनुरोध करने के लिए सीधे स्टेप्स की पेशकश करता है।

कार्यक्रम एक अग्रणी नया मॉडल है, जो अबू धाबी सरकार में सहज ग्राहक अनुभव को सक्षम करेगा और अमीरात को एक लीडर के रूप में स्थापित करेगा। नया मॉडल अंतरराष्ट्रीय मानकों के खिलाफ बेंचमार्क किया गया है और सरकार के व्यापक सहज ग्राहक अनुभव प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मानव पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश शामिल करेगा। अबू धाबी मॉडल चार आयामों दिशा, डिजाइन, विकास और वितरण में संपूर्ण ग्राहक अनुभव को संबोधित करने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण का उपयोग करता है। कार्यक्रम में पांच रणनीतिक घटक भी शामिल हैं और उन्नत भागीदारों के सहयोग से एक अनुकूलित डिजाइन लैब भी है। यह ग्राहकों के अनुभव एजेंटों की क्षमताओं को विकसित करने वाले उन्नत भागीदारों के सहयोग से एक अनुरूप डिजाइन लैब है, जो उन्हें विश्व स्तरीय ग्राहक अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाता है और अंत में ग्राहक प्रयास स्कोर (CES) पर ध्यान देने के साथ एक अग्रणी माप मॉडल स्थापित करता है। श्वष्ठ ने दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता के बिना सेवा को तात्कालिक बना दिया है। अब ग्राहक अपने यूएई पास के साथ लॉग इन करने के बाद आवेदन जमा कर सकते हैं, लागू शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और तुरंत इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। श्वष्ठ में कस्टमर हैप्पीनेस के निदेशक सौद सलेम अलनेयादी ने कहा, अबू धाबी प्रोग्राम फॉर एफर्टलेस कस्टमर सर्विस ट्रायल के रूप में हमने भूजल कुओं को गहरा करने के अनुरोध को उस सेवा के रूप में चुना है जिसे हम बढ़ाना चाहते हैं। ग्राहक यात्रा को बेहतर बनाने के लिए हमें सौ दिन दिए गए थे। समय सीमा से पहले हम न केवल समय से पहले सेवा शुरू करने में सक्षम थे, बल्कि आवेदन और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक चरणों को कम कर दिया है। EAD के पास मौजूदा में TAMM पर 10 डिजिटल सेवाएं हैं, जिनमें मनोरंजक और वाणिज्यिक मत्स्य पालन लाइसेंस, एक्वाकल्चर के लिए लाइसेंस और मूल वृक्षारोपण और स्थानांतरण के लिए परमिट शामिल हैं। यह भूजल कुओं की ड्रिलिंग व उपयोग, विकास व बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, औद्योगिक सुविधाओं और परामर्श कार्यालय के पंजीकरण के लिए पर्यावरणीय लाइसेंसिंग के अतिरिक्त है। वाणिज्यिक प्रतिष्ठान लाइसेंस को संशोधित किया गया है और अब एक सेवा छत्र के तहत वाणिज्यिक सुविधाओं, पशु उत्पादन फार्मों और खतरनाक सामग्री स्टोर के लिए पर्यावरण लाइसेंसिंग को मिला दिया गया है।

खेतों में नहीं जलेगी पराली, गोठान समिति उठाएंगे पैरा

बिलासपुर राज्य शासन ने खेतों में जल रहे पराली पर रोक लगाने के लिए अहम फैसला लिया है। प्रदेश के प्रत्येक गोठान को पैरा इकट्ठा करने के लिए 30 हजार रुपये की राशि स्वीकृत करा दी है। इससे पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाने की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। खेतों से पैरा इकट्ठा कर समिति गोठानों में सुरक्षित रखेगी। गोठान में मवेशियों को चारा की उपलब्धता रहेगा। भूख से मौत की शिकायतों पर भी विराम लगेगा। समिति पैरा इकट्ठा कर रही है या नहीं इसकी जिम्मेदारी कृषि विभाग के अधिकारियों की होगी। इसके अलावा जिला प्रशासन के अफसरों को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।

गांव में कृषि के तकनीक में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बड़े से लेकर छोटे किसान आधुनिक खेती पर जोर दे रहे हैं। इससे समय की बचत हो रही है और काम तय समय सीमा पर हो जा रहा है। परपंरागत खेती के साधन अब देखने को नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि ट्रैक्टर के जरिए खेती किसानी का काम किसान कर रहे हैं। फसल की कटाई और मिसाई दोनों काम एकसाथ हो रहा है। हार्वेस्टर के जरिए किसान धान की कटाई और मिसाई एकसाथ करा रहे हैं। आधुनिक खेती पर भरोसा करने के कारण एक चिंताजनक बात ये कि किसान के गोठान में गोवंश नजर नहीं आ रहा है।

गोठान सुना हो गया है। जाहिर है किसान के गोठान में गोवंश नहीं है तो पैरा को खेत से खलिहान क्यों लाएगा। हार्वेस्टर के जरिए धान की कटाई के बाद पैरा खेत में ही पड़ा रहता है। मजदूरी इतनी महंगी हो गई है कि किसानों को खेत से पैरा इकट्ठा कर ट्रैक्टर के जरिए खलिहान लाने में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक ट्रैक्टर पैरा को इकट्ठा कराने और ट्रैक्टर के जरिए लोडिंग अनलोडिंग कराने में तीन हजार रुपये लग जा रहा है। यह किसानों

के लिए घाटे का सौदा साबित हो जा रहा है। खलिहान लाने के बाद पैरा का उपयोग भी नहीं है। गोवंश ना होने के कारण पैरा की उपयोगिता खाद बनाने में ही है। महंगा इतना कि किसान खेत में ही पैरा को छोड़ दे रहे हैं।

रबी फसल लगाने से पहले किसान खेतों में पड़े पैरा को जला दे रहे हैं। खेत में पराली को जलाने के कारण आसमान में धुआं ही धुआं हो जा रहा है। इससे पर्यावरण तेजी के साथ प्रदूषित हो रहा है। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश का हवाला देते हुए पर्यावरण संरक्षण मंडल ने पराली जलाने पर जुर्माना का प्रविधान किया है। इसके बाद भी किसान पराली जला रहे हैं। इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। राज्य शासन के इस निर्णय के बाद पराली जलाने पर रोक लगेगी। इससे गोठानों को पैरा मिलेगा और पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा।

कठिन लक्ष्य

संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (कॉप 15) का आयोजन पिछले दिनों कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया। इस आयोजन में जो सहमति बनी वह कागजों पर तो काफी प्रभावशाली नजर आती है लेकिन उसका क्रियान्वयन काफी कठिन साबित हो सकता है। हालांकि इसकी फाइनैंसिंग के लिए एक व्यापक व्यवस्था बनाने की बात कही गई लेकिन उसके बावजूद यह काम मुश्किल हो सकता है। यह ऐतिहासिक समझौता पेरिस जलवायु संधि के तर्ज पर किया गया और इसमें ऐसे लक्ष्य तय किए गए जो 2030 तक जमीनी, आंतरिक जलीय और तटीय तथा समुद्री पारिस्थितिकी को हुए 30 फीसदी नुकसान की भरपाई कर उसे बहाल करने की बात कहते हैं और साथ ही अहम जैव विविधता को होने वाले भावी नुकसान को रोकने का लक्ष्य तय करते हैं। यह लक्ष्य आसान नहीं है, खासकर यह देखते हुए कि फिलहाल केवल 17 फीसदी जमीनी और 10 फीसदी से भी कम समुद्री क्षेत्रों का बचाव किया जा रहा है। दुनिया के महत्त्वपूर्ण जैव संसाधन पूरी तरह बचाव से रहित हैं।

नए वैश्विक जैव विविधता प्रारूप (जीबीएफ) में यह परिकल्पना की गई है कि 2030 तक सभी सार्वजनिक एवं निजी स्रोतों से न्यूनतम 200 अरब डॉलर की राशि प्रति वर्ष जुटाई जाएगी और इसकी सहायता से पृथ्वी की पारिस्थितिकी को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। यह भी अति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नजर आता है क्योंकि विकसित देश 2009 में जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए उत्सर्जन कम करने के क्रम में सालाना 100 अरब डॉलर का फंड जुटाने पर सहमत हुए थे लेकिन इस मामले में कोई सकारात्मक अनुभव नहीं रहा है। समग्र रूप से देखा जाए तो जीबीएफ में 23 लक्ष्य तय किए गए हैं जिनमें से अनेक मात्रात्मक हैं जिससे उनकी प्रगति को आंकना आसान है।

जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगों की सब्सिडी में सालाना 500 अरब डॉलर तक की कमी करना और कीटनाशकों तथा हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल को आधा करना शामिल है। इसके अलावा इसमें वैश्विक स्तर पर होने वाली खाद्य पदार्थों की बरबादी में 50 फीसदी की कमी और जरूरत से अधिक खपत तथा कचरा उत्पादन में अहम कटौती की बात कही गई है। यह इस बात की भी मांग करता है कि बड़े कारोबारी और निजी निवेशक नियमित रूप से अपने उन कदमों का खुलासा करें जो प्रकृति को प्रभावित करते हैं और उसका संरक्षण करते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि इन कदमों की जरूरत है और इससे भी अधिक ये ऐसे कठिन काम हैं जिनके बारे में कहना आसान है लेकिन करना कठिन। उनका असली महत्त्व तभी आंका जा सकता है जब उन्हें पृथ्वी की जैव विविधता की मौजूदा कमजोर दशा के परिदृश्य में देखा जाए। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी 2022 की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में हमारी जैव विविधता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके मुताबिक करीब 34,000 पौधे और 5,200 पशुओं की प्रजातियां नष्ट होने के कगार पर हैं। इसमें पक्षियों की तमाम किस्में शामिल हैं। बुरी बात यह है कि वन्य जीवों की आबादी 1970 से अब तक 69 फीसदी घटी है। इसके लिए उनके प्राकृतिक आवास नष्ट होना, खतरनाक गतिविधियां, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन आदि प्रमुख वजह हैं। भारत इस तथ्य से राहत तलाश सकता है कि लक्ष्यों को वैश्विक स्तर पर लागू करने का उसका सुझाव मान लिया गया। विभिन्न देशों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे इन्हें अपने हालात, प्राथमिकता और क्षमता के अनुसार अपनाएं। यह बात भी ध्यान देने लायक है कि भारत कुछ अन्य विकासशील देशों तथा अपेक्षाकृत अमीर देश जापान के साथ मिलकर मत्स्यपालन तथा कृषि सब्सिडी को बाहर रखने में कामयाब रहा। इससे भी अहम बात यह है कि वनों में रहने वाले लोगों के जेनेटिक संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले मौद्रिक और गैर मौद्रिक लाभ की साझेदारी तथा जेनेटिक संसाधनों से संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण को जीबीएफ का हिस्सा बनाया गया है। बहरहाल, नए जैवविविधता समझौते के हानि-लाभ से परे इस दिशा में प्रगति के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति अहम है। वरना पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा और हम गहन संकट में फंस जाएंगे।

युवाओं से किए अपने अनुभव साझा, पर्यावरण, सड़क सुरक्षा व सामाजिक सुधार के संदेश लेकर गुना आया युवाओं का दल

गुना माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने और 11 देशों में 4 लाख 35 हजार किमी पैदल यात्रा करने वाले युवाओं का दल गुना पहुंचा। यहां उन्होंने जिले के अधिकारियों से मिलकर अपनी यात्रा के उद्देश्य से आमजन एवं अधिकारियों से मिलकर साझा किया। सामाजिक डेंजरस एडवेंचर्स स्पोर्टस लॉगेस्ट वर्ल्ड टूर बाय ऑन फुट, गिनीज बुक/ लिम्का बुक इंडिया स्टार बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहियों का दल ने सीईओ जिला पंचायत प्रथम कौशिक एवं संयुक्त कलेक्टर आरबी सिंडोस्कर जिला कलेक्टर से मुलाकात कर पर्यावरण एवं सामाजिक सुधार के संदेशों को लेकर चर्चा की।

संयुक्त कलेक्टर द्वारा दल के सदस्यों के अदम्य साहस और कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने दल के सदस्यों से पर्यावरण सुरक्षा के लिए विभिन्न राज्यों एवं देशों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली तथा युवाओं को संदेश देने के लिए पैदल यात्रा के माध्यम से संपर्क करने की सोच की सराहना की। पर्वतारोहियों के दल ने बताया कि देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से हरिद्वार के रास्ते वे राजस्थान के समस्त जनपदों की यात्रा करके यहां पहुंचे हैं। दल के सदस्यों के द्वारा सड़क सुरक्षा, बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ, नशा मुक्ति सहित अन्य जागरूक कार्यक्रमों के बारे में यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से सीधा संवाद कर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। पर्वतारोही दल के लीडर अवध बिहारी लाल ने बताया कि वे उप्र के लखीमपुर जिले के दोहरारा गांव निवासी हैं।

30 जुलाई 1980 में लखीमपुर में आई बाढ़ में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था उस समय वे 13 वर्ष के थे। इस दौरान वे तीन दिन तक पेड़ पर बैठे रहे थे, तब सेना के हेलीकॉप्टर से आए जवानों ने उनकी जान बचाई। इसके बाद अवध बिहारी लाल ने पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया तथा उसी समय से पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने घर से निकल गए। दल के सदस्य लखनऊ के जितेंद्र प्रताप ने बताया कि अवध बिहारी लाल के साथ वह 11 वर्ष की आयु में 1995 में जुड़े थे।

11 देशों की पैदल यात्रा कर 14 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए

उन्होंने बताया कि भारत सहित अन्य 11 देशों की पैदल यात्रा कर 14 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। उनके दल में महेंद्र प्रताप और गोविंद नंद, विजय शंकर सहित 20 सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि सभी सदस्यों ने देहदान कर रखा है तथा पर्यावरण सरंक्षण, बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओ का संदेश रास्ते में मिलने वाले युवाओं को दे रहे है। दल के सदस्यों ने बताया कि श्योपुर में दो दिन का भ्रमण कूनो नेशनल पार्क में करने के बाद भोपाल जाएंगे। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर सामाजिक संदेशों एवं पर्यावरण के लिए किए संकल्पों की जानकारी देंगे।

पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को करना होगा काम

छछरौली। राजकीय विद्यालय खदरी के प्रांगण में राष्ट्रीय सेवा समिति का सात दिवसीय शिविर सोमवार को संपन्न हो गया। शिविर का मुख्य विषय आजादी का अमृत महोत्सव रहा। वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।

शिविर के अंतर्गत सात दिन में सात विषय पर विभिन्न गतिविधियां नशा मुक्त भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा विषयों को लिया गया। मुख्यातिथि प्रधानचार्य नीना भावा व राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी व स्टाफ सदस्यों ने विद्यालय में पौधे लगाए। कार्यक्रम अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि स्वयंसेवकों को सात समूहों में बांटा गया था। हर समूह को नदी का नाम दिया गया। हर दिवस एक समूह के मार्गदर्शक की जिम्मेवारी पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए लगाई जाती थी। प्रधानाचार्य भावा ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा तभी हो सकती है, जब पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाएंगे। इसके बाद मोहन लाल ने कहा वर्तमान में विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इस दौरान स्वयंसेवकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। यहां गोविंद सिंह भाटिया ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर से स्वयंसेवकों के व्यक्तित्व में एक विशेष निखार आएगा। शिविर से स्वयंसेवकों ने बहुत कुछ सीखा है और जागरूक अभियान निकालकर समाज में भी जागरूकता फैलाएंगे।

इंसानों के बाल बचाएंगे पर्यावरण, बेल्जियम में अपनाया जा रहा है खास उपाय

मुंबई। पहेली के रूप में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी दुकान है जहां हमें सिर्फ देकर आते हैं और कुछ भी लेकर नहीं आते हैं. इसका जवाब है नाई की दुकान . कई लोग यह तो जानते हैं कि कटे हुए बाल बहुत कीमती होते हैं. लेकिन लोग यह नहीं जानते कि इन कटे हुए बालों का उपयोग पर्यावरण के संरक्षण मे मददगार भी हो सकता है. जी हां यूरोप के देश बेल्जियम में ऐसा ही हो रहा है. वहां के नाई अपने ग्राहकों से काटे गए बालों को इकट्ठा करते हैं और उनके पुनर्चक्रण के लिए एक एनजीओ को देते हैं जिनका फिर से उपयोग पर्यावरण के बचाव में मदद करता है.

रीसाइकल होते हैं बाल बेल्जियम में हेयर रीसाइक्लिग प्रोजेक्ट में बालों का एक मशीन में डाला जाता है जिसके बाद उन्हें एक चटाई की तरह के वर्गाकार वस्तु में बदला जाता है जो तेल और अन्य प्रदूषण फैलाने वाले हाइड्रोकार्बन रसायनों को अवशोषित करने का काम करते हैं. ये रसायन पर्यावरण के लिहाज से घातक माने जाते हैं.

खास तरह के बैग भी इसके अलावा इनसे जैव पदार्थ युक्त बैग भी बनाए जा सकते हैं जिन्हें पर्यावरण अनुकूल पदार्थ की श्रेणी के उत्पादों में रखा जा सकता है. इस प्रोजेक्ट के सह संस्थापक पैट्रिक जैनसेन ने इसके बारे में बताया कि एक किलोग्राम के बाल करीब 7-8 लीटर का तेल और हाइड्रोकार्बन अवशोषित करने की क्षमता रखते है.

नालियों में रखना होगा कारगर जैनसेनका कहना है कि इनसे बनी चटाइयां नालियों में रख दी जाएं तो प्रदूषित पानी की नदियों में पहुंचने से पहले ही उनका सारा का सारा प्रदूषण सोख लेती हैं. इस तकनीक का उपयोग कर जल प्रदूषण सहित पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं.

पूरी तरह से स्थानीय ये उत्पाद और ज्यादा नीतिपरक कहे जा सकते हैं क्योंकि इनका उत्पादन स्थानीय पदार्थों से स्थानीय स्तर पर ही हो जाता है और उसके लिए किसी भी तरह के महंगे या दुर्लभ उपकरण को आयात करने की जरूरत नहीं पड़ती है. उन्हें यहां स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया जा राह है.

इंसान के बालों की विशेषता इस प्रोजेक्ट ने अपनी वेबसाइट में बताया है कि इंसान के बालो में शक्तिशाली गुण होते हैं. एक बाल अपने खुद के वजह से एक करोड़ गुना ज्यादा वजन को झेल सकता है और उसे फैट और हाइड्रोकार्बन अवशोषित करसकता है. यह पानी में घुलनशील होता है और इसके कैरेटिन फाइबर के कराण बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है.

उपयोगिता उत्साहित करती है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रुसेल्स की एकसैलून मैनेजरल इसाबेल वोउलकिडिस ऐसी दर्जनों हेयरड्रेसर मे से एक है जो बालों को देने के लिए मामूली फीस देती हैं. उनका कहना है कि अब उन्हें बाल फेंकने के लिए व्यवस्था करने के झंझट से मुक्ति मिल जाती है, जबकि उसे कचरे के डिब्बे में फेंकने की जगह उसकी बहुत उपयोगिता होती है. जहां लंबे स्वस्थ्य बालों की विग बनाने के लिए बहुत मांग होती है, छोटे बाल के भी कम उपयोग नहीं होते हैं. इंसान के बालों में नाइट्रोजन बहुत समृद्ध होता है, उन्हें बागीचों में खाद की तरह उपयोग में लाया जा सकता है. इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां बालों का निर्माण पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर भी प्रयोग कर रही हैं.

दिल्ली-फरीदाबाद में एक बार फिर दमघोंटू हुई हवा, चार शहरों में गंभीर स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण

दिल्ली केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 02 जनवरी 2023 को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 177 शहरों में से केवल 11 में हवा बेहतर रही, जबकि 46 शहरों की श्रेणी %संतोषजनक%, 60 में %मध्यम% रही। वहीं 32 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब दर्ज किया गया, जबकि औरंगाबाद (बिहार)-आसनसोल सहित 24 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब रहा। वहीं भागलपुर 420, दरभंगा 407, कटिहार 403 और राजगीर 408 में वायु गुणवत्ता गंभीर दर्ज की गई। यदि दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 दर्ज किया गया है। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 325, गाजियाबाद में 294, गुरुग्राम में 266, नोएडा में 299 पर पहुंच गया है। देश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 188 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण के %मध्यम% स्तर को दर्शाता है। जबकि कोलकाता में यह इंडेक्स 221, चेन्नई में 76, बैंगलोर में 86, हैदराबाद में 88, जयपुर में 117 और पटना में 343 दर्ज किया गया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादकः डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008